

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(1)/ए-76/2019/

दिनांक.-

## आदेश

श्रीमती आलि पी0सी0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान राजपत्र साधारण में साधिकार प्रकाशित जिल्द 71 ज्येष्ठ 2, गुरुवार शाके 1941-मई 23, 2019 अंक 08 में प्रकाशन उपरान्त राजस्थान सेवा नियम 8(क) के बिन्दु सं0 6(5) एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1(3)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 15.02.2018 के अनुसरण में इनका नाम श्रीमती आलि पी0सी0 के स्थान पर आलिस मैथ्यू किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक.- 6/08/19

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(1)/ए-76/2019/1050

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवापुरस्तिका में यथास्थान उक्तानुसार इन्द्राज कर पालना से अवगत करावे।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सागांनेरी गेट, जयपुर।
- 3 श्रीमती आलिस मैथ्यू, महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभाश रॉवर फ़ोन को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
- 5 आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर